## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003972014</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—238 / 14</u> संस्थापित दिनांक—28.04.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—विवेक पुत्र रामबाबू जाति श्रीवास्तव उम्र 32 साल निवासी लाला की गली चंदेरी।
आरोपी
राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :— श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता।

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 21.02.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत 4''क'' द्यूत कीडा अधिनियम के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफतारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राजकुमार सिंह ने दिनांक 25.02.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि घटना दिनांक को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि लाला की गली चंदेरी में विवेक श्रीवास्तव आम लोगों को एक रुपये के बदले 80 रुपये देने का लालच देकर सटटा खिला रहा है। जब सूचना की तस्दीक हेतु हमराही फोर्स के साथ पहुंचे तो एक व्यक्ति सटटा पर्ची काटते हुए देखा जिसे फोर्स की मदद से पकडा एवं सटटा लगाने वाले भाग गए। उस व्यक्ति से एक सटटे का अंक लिखा पाना, लीड पैन, नगदी 240 रुपये जप्त किए एवं आरोपी को पंचानों के समक्ष गिरफतार किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 8/14 के अंतर्गत 4"क" द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तृत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध 4''क'' द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया और आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया। 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.02.14 को समय 14.50 बजे स्थान लाला की गली वार्ड क्रमांक 09 चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर लोगों को एक रुपया के बदले अस्सी रुपये का प्रलोभन देकर सटटा पर्ची काटते हुए पाये गए ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 दीपक, अ.सा. 02 अशोक सिंह, अ.सा. 03 राजकुमार रघुवंशी की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 दीपक ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने जप्ती पत्रक प्रपी 01 एवं गिरफतारी पत्रक प्रपी 02 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी को पकड़ा गया था। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई। इसी प्रकार अ.सा. 02 भी पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने भी जप्ती पत्रक प्रपी 01 एवं गिरफतारी पत्रक प्रपी 02 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, किंतु उक्त साक्षी के अनुसार भी उसके समक्ष कोई जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त दोनों साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी से सटटा पर्ची पकड़ी गई थी। उपरोक्त साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी से सटटे का अंक लिखा पाना एवं नगदी जप्त की गई थी।

08— अ.सा. 03 राजकुमार रघुवंशी जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को करबा भ्रमण के दौरान ढोलिया गेट पर आरोपी को सटटा खिलाते हुए पकडा था। उक्त साक्षी के अनुसार हमराह फोर्स आरक्षक अरविंद मौर्य एवं राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी को हमराह फोर्स की मदद से पकडा था तथा आरोपी से प्रपी 01 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से सटटे के अंक लिखा पाना प्रपी 05 के अनुसार जप्त किया था एवं थाना वापसी पर आरोपी के विरुद्ध प्रपी 06 के अनुसार कायमी की गई थी। उक्त साक्षी ने वापसी सान्हा प्रपी 07 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने थाने पर रवानगी डाली थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रकरण में नक्शामौका नहीं बनाया है।

09— प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण के जप्ती पत्रक के साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए हैं। उपरोक्त साक्षीगण द्वारा जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 03 के अनुसार वह कस्बा भ्रमण के लिए रवाना हुआ था, किंतु अभियोजन द्वारा रवानगी सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रमाणित कराया गया है। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 03 के अनुसार हमराह फोर्स में आरक्षक अरविंद मौर्य एवं राजेंद्र सिंह भी मौके पर गए थे, किंतु उपरोक्त दोनों आरक्षकगण की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। उपरोक्त आरक्षकगण की साक्ष्य अ.सा. 03 की साक्ष्य के अनुसमर्थन बाबत आवश्यक थी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मात्र अ.सा. 03 की साक्ष्य ही अभिलेख पर है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्ष्य में न केवल उपरोक्त किया हैं,

बल्कि अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है, क्योंकि अ.सा. 03 की साक्ष्य का अनुसमर्थन एवं संपुष्टि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से नहीं हो रहा है। मात्र पुलिस निरीक्षक की साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा कारित अपराध को प्रमाणित नहीं माना जा सकता, वह भी तब जबिक अ.सा. 03 की साक्ष्य से अभियोजन की साक्ष्य में कई किमयां होना दर्शित हो रही हों। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए तथा संदेह की स्थिति में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। उपरोक्त समर्ग विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि प्रकरण में अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए 4"क" द्यूत कीडा अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा 240 रुपये नगद राजसात किए जावें एवं एक लीड एवं सटटा उपकरण मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननयी अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)